



## न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं का वस्तितार

### चरचा में कर्णों?

केंद्रीय मंत्रमंडल ने न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने के लिये (बारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 01.04.2017 से 31.03.2020 के अतरिकित) राष्ट्रीय न्याय सुपुर्दगी एवं न्यायिक सुधार मशिन के माध्यम से केंद्रीय प्रायोजति स्कीम (सीएसएस) का कार्यान्वयन मशिन मोड में जारी रखने को मंजूरी दी है ।

- मंत्रमंडल द्वारा न्याय वभिग द्वारा जीओ टैगिंग के साथ एक ऑनलाइन नगिरानी प्रणाली की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है ।

### उद्देश्य

- इसका उद्देश्य भवषिय की परयोजनाओं के साथ-साथ संपूरण देश में न्यायालय परसिर्णों का नरिमाण करना, आवासीय यूनटिर्णों के संबंघ में नयिमावली तैयार करना है ।

### लाभ

- इस स्कीम से ज़िला, उप-ज़िला, तालुका, तहसील एवं ग्राम पंचायत और गाँव स्तर सहति संपूरण देश के ज़िला तथा अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियिर्णों/न्यायाधीशों के लिये उपयुक्त संख्या में न्याय परसिर्ण और आवासीय यूनटिर्ण की उपलब्धता में बढोतरी होगी ।
- इससे देश भर में न्यायपालिका कार्य प्रणाली और कार्य प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मलिंगी ।

### वत्तितीय सहायता

- ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियिर्णों/न्यायाधीशों के लिये न्यायालय परसिर्णों और आवासीय यूनटिर्णों के नरिमाण के लिये केंद्रीय रूप से प्रायोजति स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है ।
- पूरवोत्तर और हमिलयी राज्यों को छोडकर राज्यों के संबंघ में वर्तमान नधियिर्णों के आवंटन का अनुपात केंद्र और राज्य के लिये क्रमशः 60:40 है ।
- पूरवोत्तर और हमिलयी राज्यों के संबंघ में नधि आवंटन का अनुपात 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंघ में 100 प्रतशित है ।
- इससे ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियिर्णों/न्यायाधीशों के लिये 3000 न्यायालय परसिर्णों और 1800 आवासीय यूनटिर्णों की नरिमाणाधीन परयोजना को पूरा करने में मदद मलिंगी ।

### केंद्र एवं राज्यों के मध्य नधि आवंटन का अनुपात

#### परयोजना की नगिरानी संबंघी प्रावधान

- न्याय वभिग द्वारा एक ऑनलाइन नगिरानी प्रणाली की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से कार्य प्रगति, नरिमाणाधीन न्यायालय परसिर्णों और आवासीय यूनटिर्णों की कार्य प्रगति संबंघी आँकड़े एकत्रति कयि जाने के साथ-साथ बेहतर परसिंपत्ता प्रबंधन भी सरलता से कयि जा सकेगा ।
- त्वरति और बेहतर नरिमाण को सुनश्चिति करने के लिये वभिनिन राज्यों में राज्य के मुख्य सचविर्णों और पी.डब्लू.डी. अधिकारियिर्णों के साथ मॉनटरिंग समति की नयिमति बैठकों का आयोजन कयि जाएगा ।

### पृष्ठभूमि

केंद्र सरकार ने न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिये वर्ष 1993-94 से करयिान्वति केंद्रीय प्रायोजति स्कीम के माध्यम से इस संबंघ में राज्यों के संसाधनों में बढोतरी करने का कार्य कयि जा रहा है । ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियिर्णों/न्यायाधीशों के लिये न्यायालय परसिर्णों और आवासीय यूनटिर्णों के नरिमाण के लिये केन्द्रीय रूप से प्रायोजति स्कीम (सी.एस.एस.) के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है ।

